

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डावी, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-330/2007(110/2004) राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136

लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

- 1-श्रीमति सूड़ी बाई पत्नि नानूराम कीर, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील भीलवाड़ा
- 2-श्रीमति शायर पुत्री नानूराम कीर, पत्नि नाथूलाल कीर, उम्र बालिग निवासी नया समेलिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3-श्रीमति समता पुत्री नानूराम कीर, पत्नि भैरूलाल कीर, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4-श्रीमति आशा पुत्री नानूराम कीर पत्नि भंवरलाल कीर, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5-श्री गौरव पिता देवकिशन आचार्य, उम्र बालिग निवासी 3-एच-13, 14, आर.सी.व्यास, कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 6-श्री सौरभ पिता देवकिशन आचार्य, उम्र बालिग, निवासी 3-एच-13, 14 आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----वादीगण

बनाम

- 1-श्री नंदलाल पिता हजारी लाल कीर, उम्र बालिग निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 2-श्रीमति हगामी पुत्री हजारी लाल कीर पत्नि छोगीलाल कीर, उम्र बालिग निवासी मंगरोप तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3-श्रीमति गीता पुत्री हजारी लाल कीर पत्नि सोहनलाल कीर, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

स्टेट प्रमाणिक प्राप्ति

-----प्रतिवादीगण

रीडर

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण की ओर से श्री राकेश जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी की संख्या 1 की ओर से श्री दिनेश बापना, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 04.01.2019 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में वकील वादीगण संख्या 5 व 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी 3392 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 3393 रकबा 17 बिस्वा, 3394 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल कित्ता 3 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण संख्या 5 व 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार निम्न भूमि वादीगण संख्या 5 व 6 के नाम इस प्रकार दर्ज की जायें।

राजस्थान राज्य
जिला भीलवाड़ा

1-श्री गौरव पिता देवकिशन आचार्य, उम्र बालिग निवासी 3-एच-13, 14, आर.सी.व्यास, कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) के नाम निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
3392	2 बीघा 06 बिस्वा	-
कुल किता 1	रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा	लगान -

2-श्री गौरव पिता देवकिशन आचार्य, उम्र बालिग, श्री सौरभ पिता देवकिशन आचार्य, उम्र बालिग, निवासी 3-एच-13, 14 आर. सी. व्यास, कॉलोनी, भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम निम्न भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
3393	- 17 बिस्वा	-
3394	1 बीघा 09 बिस्वा	-
कुल किता 2	रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा	लगान -

उक्तानुसार भूमि का वादीगण संख्या 5 व 6 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। उसी अनुसार भूमि वादीगण संख्या 5 व 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(टीना डाबी)

(आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 04.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

फोटो स्टेट प्रमाणित



रीडर

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा